Indian Cardamom Research Institute
SPICES BOARD
(Government of India)
(Ministry of Commerce and Industry)
Myladumpara Kailasanadu P.0
Idukki District - 685 553
Kerala

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान
स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
मैलाडुंपारा
कैलासनाड पा.आ.
इडुक्की जिल्ला – 685 553
केरल

अपेक्षित जनशक्ति	कार्य का विवरण	कुल अपेक्षा
अकुशल मजदूर	• इलायची नर्सरी का रखरखाव, कृषि संचालन का समय पर क्रियान्वयन तथा रोग मुक्त स्वस्थ रोपण सामग्री का उत्पादन • इलायची और अन्य मसालों के जर्मप्लाज्म ब्लॉकों और संरक्षिका का रखरखाव और आवश्यक कृषि संचालन को समय पर अपनाना। • जैविक खेती के प्रायोगिक क्षेत्रों का रखरखाव • इलायची के प्रदर्शन भूखंडों में नियमित अंतर–खेती संचालन को बनाए रखना और जिम्मेदारी ग्रहण करना • इलायची, काली मिर्च, अदरक, हल्दी और वृक्ष मसालों के प्रायोगिक भूखंडों का रोपण, रखरखाव और कटाई • सामान्य कृषि कार्य जिसमें छायादार वृक्षों की छंटाई, इलायची की कटाई, निराई, मल्चिंग और लघु कृषि मशीनरी जैसे ब्रश कटर, वुड़ कटर, इंटर कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर आदि का संचालन शामिल है। • कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान, रोगविज्ञान, कीट विज्ञान, फसल सुधार आदि के अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित सभी कार्य। • समय पर कृषि संचालनों सहित रोपण सामग्री उत्पादन के लिए इलायची के मूल ब्लॉक का रखरखाव • इलायची और अन्य मसालों के लिए आवश्यक कोई अन्य खेती संचालन • प्रमुख और गौण पोषक तत्वों और गुणवत्ता मापदंडों के विश्लेषण के लिए पौधे और मिट्टी के नमूने एकत्र करना और तैयार करना	25 नं .

निबंधन व शर्तें:-

1) यह सेवा निम्नलिखित पते पर उपलब्ध है
भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान
स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
मैलाडुम्पारा, कैलासनाडु पी.ओ.
इडुक्की जिला-685553, केरल राज्य

2) बोली प्रस्तुत करने से पहले, ठेकेदार क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो कार्यालय समय (सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक) के दौरान प्रभारी वैज्ञानिक (फार्म), माइलाडुम्पारा के साथ कार्य के विवरण पर चर्चा कर सकते हैं।
3) ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि निदेशक (अनुसंधान), आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जानी चाहिए। जिन एजेंसियों को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है, उन्हें इस आशय का वैध छूट प्रमाणपत्र अपलोड करना चाहिए। यदि निविदाओं के साथ बयाना राशि जमा/ईएमडी छूट प्रमाणपत्र जमा नहीं किया जाता है, तो निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा ।
4) ठेकेदार/एजेंसी प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से दर का बोली करेंगे। काम सौंपते समय श्रमिकों की संख्या, काम की मात्रा आदि की जानकारी दी जाएगी।
5) यदि संबंधित क्षेत्र में संविदा कार्य के न्यूनतम वेतन में संशोधन के संबंध में भारत सरकार/केरल सरकार की ओर से कोई अधिसूचना प्राप्त होती है, तो सक्षम प्राधिकारी कार्य आदेश को संशोधित करेगा; इस शर्त पर कि कार्य आदेश में विद्यमान दर संशोधित न्यूनतम वेतन से कम होनी चाहिए।
6) किसी भी व्यक्ति को दैनिक वेतन पर संविदा के आधार पर नियुक्त करने से वह व्यक्ति सरकारी सेवा में नियमित होने का हकदार नहीं हो जाता।
7) राष्ट्रीय अवकाश उन संविदात्मक श्रमिकों के लिए सवेतन अवकाश होंगे जो खेत/मैदान/प्रयोगशाला/कार्यालयों में काम कर रहे हैं, सिवाय सुरक्षा कर्मियों और उन अनुभागों के, जिनकी सप्ताह में छह या सात दिन की ड्यूटी होती है।
8) निदेशक, अनुसंधान मैलाडुम्पारा संविदा अवधि के दौरान संविदा श्रमिकों की संख्या बढ़ाने या संविदा श्रमिकों की संख्या कम करने का अधिकार रखते हैं।
9) निदेशक(अनुसंधान) मैलाडुम्पारा संस्थान के हित में या किसी भी उचित कारण से संविदा की अवधि को कम करने या समाप्त करने या इसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार रखते हैं, जिसे निविदाकर्ता को सूचित करना अनिवार्य नहीं है। संविदा के किसी भी पहलू के लिए उनका निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। संविदा पर उत्पन्न होने वाले विवाद, यदि कोई हो, उनके स्तर पर सुलझाए जाएंगे और मध्यस्थता के लिए नहीं भेजे जाएंगे।
10) उल्लिखित कार्य की मात्रा/विवरण केवल अनुमानित है, इसलिए यदि ठेकेदार को कार्य सौंपा जाता है तो उसे समान प्रकृति का अतिरिक्त कार्य उसी दर, निबंधन व शर्तों पर करना चाहिए।
11) इस निविदा के तहत सामान्य कृषि सेवाएं प्रदान करने वाले ठेकेदार/एजेंसी के पास कर्मियों के लिए स्पष्ट भर्ती और निकास नीति होनी चाहिए। सेवा प्रदाता को 20-50 वर्ष की आयु के श्रमिकों की आपूर्ति करनी होगी। सभी स्थानों पर तैनात सभी कर्मचारी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और उनका आचरण और नैतिक ईमानदारी अच्छी होनी चाहिए।
12) संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार, जो समय-समय पर निर्धारित या संशोधित किया जाता है, मजदूरी का भुगतान करना एजेंसी का दायित्व होगा।
13) ठेकेदार/एजेंसी द्वारा काम शुरू न करने या संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में है तो, एजेंसी की प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। ठेकेदार/एजेंसी को देय कोई भी राशि, जिसमें संविदा के तहत उसे वापस

Phone: Office: 04868-237206 & 237207; Fax: 04868-237285
E-mail: icrimyladumpara@gmail.com
Website: www.indianspices.com

की जाने वाली प्रतिभूति जमा राशि भी शामिल है, संस्थान को देना होगा। संविदा रद्द होने के बाद संस्थान संविदा की शेष अवधि के लिए एजेंसी के जोखिम लागत पर किसी अन्य एजेंसी से काम करवा सकता है।

14) ठेकेदार/एजेंसी को संविदा के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य एजेंसी या संगठन को हस्तांतरित/सौंपने की अनुमति नहीं होगी।

15) आचार संहिता – संस्थान में एजेंसी द्वारा ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों पर निम्नलिखित आचार संहिता लागू होगी और यह सुनिश्चित करना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि तैनात कार्मिक:

i) वर्दी में ड्यूटी पर रिपोर्ट करें
ii) सदैव नियमित और समयनिष्ठ रहें तथा अपने–अपने ड्यूटी गंतव्य पर ड्यूटी शुरू होने से कम से कम पांच मिनट पहले पहुंचें।
iii) सदैव सतर्क रहें तथा अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, निष्ठा एवं अनुशासन के साथ करें
iv) ड्यूटी के दौरान गपशप करने, समाचार पत्र/पत्रिकाएं पढ़ने, मोबाइल फोन का उपयोग करने या अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें।
v) पान न चबाएं/सिगरेट और/या कोई अन्य तम्बाकू उत्पाद न पीएं/शराब न पिएं
vi) ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में न रहें
vii) अपना कर्तव्य पूरा किए बिना या उचित प्रतिस्थापन के बिना ड्यूटी पोस्ट न छोड़ें
viii) परिसर में किसी भी अप्रिय घटना/लोगों के दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को देना हमेशा याद रखें।
ix) संस्थान के सभी कर्मचारियों और आगंतुकों के साथ उचित सम्मान और शिष्टता से व्यवहार करें तथा हमेशा मदद करने का प्रयास करें।
x) आपराधिक एवं असामाजिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को परिसर में कहीं भी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

16) संस्थान संविदा श्रमिकों को कोई आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संस्थान के परिसर में खाना पकाने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17) ठेकेदार/एजेंसी को ड्यूटी पर मौजूद सभी संविदा कर्मचारियों को वर्दी और पहचान पत्र प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी और संस्थान के सभी कर्मचारियों और आगंतुकों के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करना होगा। उन्हें किसी भी कर्मचारी संयोजन और संघ की गतिविधियों में भाग लेने से बचना होगा। एजेंसी द्वारा नियोजित संविदा कर्मचारी की किसी भी संयोजन/संघ की गतिविधियों को आईसीआरआई परिसर के अंदर अनुमति नहीं है। संविदा कर्मचारियों को कोई भी अजीब आवरण पहनने की अनुमति नहीं होगी। पोशाक एक समान रंग और डिजाइन की होनी चाहिए। अनुचित वर्दी में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति को ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा।

18) फर्म ईपीएफ और ईएसआई के भुगतान और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम आदि के तहत देयता के लिए जिम्मेदार होगी, जो भारत सरकार के प्रचलित अधिनियमों/आदेशों के अनुसार ईपीएफ और ईएसआई द्वारा बनाए गए सभी श्रमिकों के खातों में सीधे भुगतान करेगी और बैंक विवरण सहित बिल के साथ कार्यालय में इसका प्रमाण प्रस्तुत करेगी।

19) ठेकेदार को अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों को हर महीने पाँच तारीख को या उससे पहले वेतन का भुगतान करना चाहिए और भुगतान की व्यवस्था के लिए अगले महीने की पाँच तारीख तक बैंक खाते के विवरण, पैन विवरण आदि के साथ मासिक बिल की प्रतियाँ जमा करनी चाहिए। भुगतान सीधे श्रमिक के बैंक खाते में किया जाना चाहिए और मासिक बिल के साथ बैंक विवरण की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

20) ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआई में शामिल सदस्यों की सूची/बैंक में जमा की गई राशि की व्यक्तिगत सूची बिल के साथ उपलब्ध करानी होगी।

21) एजेंसी को मजदूरों को वेतन पर्ची उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसकी एक प्रति मासिक बिल के साथ कार्यालय को भी भेजनी चाहिए।

22) सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी में यदि कोई अंतर है तो उसे नियमों के अनुसार स्वीकार/संशोधित किया जाएगा। ठेकेदार को संविदा कर्मियों को संशोधित मजदूरी का भुगतान करना होगा और दावे के लिए बिल इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

23) संविदा की अवधि प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होगी तथा एजेंसी का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाए जाने पर समान सेवा शुल्क, निबंधन व शर्तों पर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

24) इस संविदा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर निम्नलिखित आधारों पर समाप्त किया जा सकता है:–

क) असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण
ख) संविदा की शर्तों का उल्लंघन
ग) संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में लगातार लापरवाही बरतना
घ) श्रमिकों को वेतन, ईपीएफ, ईएसआई का भुगतान विलंब से/न करना
ङ) ईपीएफ, ईएसआई आदि से संबंधित मामलों में श्रमिकों की जरूरतों पर ध्यान न देना।

25) जीईएम प्रणाली में जीएसटी सहित बोली मूल्य अंतर्निहित है। हालांकि, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार कृषि कार्यों के लिए कृषि श्रमिकों की आपूर्ति के लिए जीएसटी. से छूट दी गई है। तदनुसार, कृषि कार्यों के लिए कृषि श्रमिकों के संबंध में कार्य आदेश राशि में जीएसटी शामिल नहीं होगी। जहां भी जीएसटी लागू हो और भुगतान किया गया हो, उसका प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

26) काम पर तैनात व्यक्तियों को सभी कार्य दिवसों में दोपहर के भोजन के अवकाश को छोड़कर आठ घंटे काम पर उपस्थित रहना होगा।

27) ठेकेदार/एजेंसी संविदा कर्मचारियों को अनियमित ढंग से नहीं बदलेगा। यह संस्थान की पूर्व जानकारी में किया जाएगा और इस तरह से तैनात किए गए संविदा कर्मचारियों का पूरा विवरण संस्थान को दिया जाएगा।

28) तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करने के लिए निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

a) एजेंसी/फर्म के पास श्रमिकों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी उचित अद्यतन पंजीकरण लाइसेंस होना चाहिए (प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए)
b) विभिन्न सरकारी विभागों में समान प्रकृति के संविदा में तीन वर्ष के अनुभव का प्रमाण। (कार्य आदेश की प्रतियां संलग्न करें)
c) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
d) ईएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
e) पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति।
f) जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति
g) भुगतान की गई ईएमडी या ईएमडी छूट प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।
h) बोलीदाता को आईसीआरआई या किसी अन्य शैक्षणिक/अनुसंधान एवं विकास/सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र या वचनबद्धता प्रस्तुत की जानी चाहिए।
i) औसत वार्षिक कारोबार (पिछले तीन वर्षों यानी 2021–22, 2022–23, 2023–24 के लिए) 1 (एक) करोड़ रुपये होना चाहिए। सनदी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित और सीलबंद टर्नओवर प्रमाणपत्र

के साथ पिछले तीन वर्षों (यानी 2021–22, 2022–23, 2023–24) की तुलन पत्र और लाभ और हानि विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। एमएसएमई फर्मों के लिए टर्नओवर प्रमाणपत्र से छूट दी गई है।

j) बोलीदाता का कार्यालय/शाखा कार्यालय केरल राज्य में होना चाहिए। कार्यालय स्थान, पता, ईमेल, संविदा विवरण के दस्तावेज़ी प्रमाण की प्रति प्रदान की जानी चाहिए।

29) सफल निविदाकर्ता को कार्य के लिए 200 रुपये (केवल दो सौ रुपये) के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आईसीआरआई के साथ एक विस्तृत संविदा अनुबंध करना होगा।

30) बोली का प्रदान और उसके निबंधन व शर्तें भारत सरकार/निदेशक आईसीआरआई द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य दिशा–निर्देश के अधीन होंगी।

31) ठेकेदार/एजेंसी को अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में सभी कानूनी दायित्वों का निर्वहन करना होगा और समय–समय पर उन पर लागू होने वाले सभी नियमों और विनियमों और कानून के प्रावधानों जैसे कि संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि के तहत वैधानिक दायित्व का भी पालन करना होगा,। एजेंसी को अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों के प्रति विभिन्न कानूनों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में एजेंसी की विफलता या एजेंसी या ठेकेदार के कार्य/चूक के कारण संस्थान को हुए किसी भी नुकसान/क्षति के कारण संस्थान को होने वाले किसी भी दावे, हानि या क्षति से संस्थान को क्षतिपूर्ति करनी होगी और क्षतिपूर्ति दिलाती रहेगी।

32) ठेकेदार/एजेंसी को सभी नियोजित कर्मचारियों का बीमा करवाना होगा, ताकि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या सामान्य कानून के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता के विरुद्ध बीमा करवाया जा सके। एजेंसी को किसी भी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से संस्थान को अपने स्टाफ सदस्यों और/या कामगार/कर्मचारियों के संबंध में किसी भी दावे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होना होगा।

33) यदि निविदाकर्ता संस्थान द्वारा कार्य सौंपने का पत्र जारी होने के 15 दिन के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो किया गया प्रस्ताव बिना किसी नोटिस के वापस ले लिया जाएगा तथा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

34) कार्य आदेश के दिए गए मूल्य का तीन प्रतिशत कार्य निष्पादन सुरक्षा के रूप में निदेशक अनुसंधान, आईसीआरआई के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाना चाहिए, जो कार्य प्रदान की सूचना के 15 दिनों के भीतर भारतीय स्टेट बैंक, नेदुमकंदम (शाखा कोड 070216) में प्रेषण करना होगा। यह राशि कार्य पूरा होने की तिथि से तीन महीने और साठ दिन बाद और सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने पर बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी।

35) यदि निविदा में अपेक्षित पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है या निविदा के अनुलग्नक में मांगी गई जानकारी पूरी तरह नहीं भरी गई है तो निविदा को नजरअंदाज किया जा सकता है। निविदा या संविदा से संबंधित अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति यह निर्दिष्ट कर सकता है कि क्या वह (i) एकमात्र स्वामी या ऐसे एकमात्र फर्म या गठित वकील की हैसियत से हस्ताक्षर करता है, या (ii) फर्म का भागीदार है यदि यह साझेदारी है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास साझेदारी के व्यवसाय से संबंधित विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह फर्म के आधार पर हो या कंपनी हो।

36) निदेशक, आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

37) बोली वापस लेने का अनुरोध बोली खोलने के लिए निर्धारित समय से कम से कम 24 घंटे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

38) ठेकेदार को सभी संबंधित रजिस्टर बनाए रखने होंगे, जैसे कि काम पर रखे गए मजदूरों की दैनिक उपस्थिति रजिस्टर, हस्ताक्षर सहित मजदूरी रजिस्टर, ईपीएफ और ईएसआई के मासिक अंशदान रजिस्टर। उसे कार्यालय/श्रम अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर ऐसे सभी रजिस्टर प्रस्तुत करने होंगे।

39) ठेकेदार के कर्मचारियों को आईसीआरआई में रोजगार का दावा करने/प्राप्त करने या अन्यथा अवशोषण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा, कानूनी अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं होगा और न ही संविदा कर्मचारियों को आईसीआरआई के कर्मचारियों को अनुमेय या भुगतान किए जाने वाले लाभों और/या परिलब्धियों का दावा करने का कोई अधिकार होगा। कर्मचारी एजेंसी के कर्मचारी बने रहेंगे और आईसीआरआई में काम पर प्रतिनियुक्ति करने से पहले अपने कर्मचारी को यह स्पष्ट करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। इस नौकरी/कार्य संविदा/आउटसोर्स के लिए एजेंसी द्वारा नियोजित और तैनात किए गए कर्मचारी संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे और सेवा प्रदाता और आईसीआरआई के कर्मचारियों के बीच कोई मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है और इसके अलावा सेवा प्रदाता के उक्त कर्मचारी इस काम के लिए उनकी नियुक्ति के आधार पर आईसीआरआई प्रादेशिक स्टेशनों में किसी भी रोजगार या अवशोषण का दावा नहीं करेंगे।

40) एजेंसी को संविदा शुरू होने के 15 दिनों के भीतर संविदा मजदूरों का नाम, पता और उसका प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण, उनका बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड की प्रति, ईएसआई/ईपीएफ संख्या का विवरण कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

41) संस्थान ने न्यूनतम सेवा शुल्क 3.85% निर्धारित किया है। संस्थान उस उत्तरदायी बोलीदाता को संविदा प्रदान करेगा जिसका सेवा शुल्क निर्धारित सेवा शुल्क कट ऑफ में सबसे कम होगा। 3.85% से कम सेवा शुल्क उद्धृत करने वाली एजेंसी की बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएँगी।

42) कुशल श्रमिकों को दिया जाने वाला भत्ता न्यूनतम मजदूरी का हिस्सा नहीं होगा तथा ईपीएफ, ईएसआई और अन्य वैधानिक कटौतियों की गणना केवल न्यूनतम मजदूरी पर की जाएगी।

अतिरिक्त निबंधन वं शर्तें:-

1 बोलीदाता को संविदा की पूरी अवधि के दौरान सभी वैधानिक दिशा–निर्देशों, श्रम नियमों और विनियमों तथा सभी सरकारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

2 बोलीदाता को भुगतान प्रक्रिया के लिए चालान के साथ मजदूरी और वैधानिक भुगतानों सहित सभी भुगतानों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

3 यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है/ संविदा की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो स्पाइसेस बोर्ड संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, तत्काल प्रभाव से संविदा को समाप्त करने का अधिकार रखता है।

4 यदि एजेंसी संविदा को समाप्त करना चाहती है, तो उसे संविदा अवधि तक किसी भी वैधानिक दायित्व को पूर्ण रूप से पूरा करने के दस्तावेजी प्रमाण के साथ स्पाइसेस बोर्ड को एक माह का नोटिस देना होगा।

Bid Number/बोली क्रमांक (बिड संख्या):
GEM/2024/B/5430622
Dated/दिनांक : 17-10-2024

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	11-11-2024 11:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	11-11-2024 11:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	180 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Ministry Of Commerce And Industry
Department Name/विभाग का नाम	Department Of Commerce
Organisation Name/संगठन का नाम	Spices Board
Office Name/कार्यालय का नाम	Head Office
Item Category/मद केटेगरी	Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Unskilled; High School; Others
Contract Period/अनुबंध अवधि	11 Month(s)
Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)/बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का)	100 Lakh (s)
Years of Past Experience Required for same/similar service/उन्हीं/समान सेवाओं के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष	3 Year (s)
Past Experience of Similar Services required/इसी तरह की सेवाओं का पिछला आवश्यक अनुभव है	Yes
MSE Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट/ and Turnover/टर्नओवर के लिए एमएसई को छूट प्राप्त है	Yes
Startup Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट/ and Turnover/ टर्नओवर के लिए स्टार्टअप को छूट प्राप्त है	Yes
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Experience Criteria,Bidder Turnover,Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

Bid Details/बिड विवरण	
Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?/	Yes
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	No
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	2 Days
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation
Financial Document Indicating Price Breakup Required/मूल्य दर्शाने वाला वित्तीय दस्तावेज ब्रेकअप आवश्यक है	Yes
Arbitration Clause	No
Mediation Clause	No

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Advisory Bank/एडवाईजरी बैंक	State Bank of India
EMD Amount/ईएमडी राशि	250000

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Required/आवश्यकता	No

(a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy./जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने है। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।

(b). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable./ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

Beneficiary/लाभार्थी :
Secretary
Spices Board, Cochin-25
(Secretary)

MII Compliance/एमआईआई अनुपालन

MII Compliance/एमआईआई अनुपालन	Yes

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest definitions under MSME rules, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
2. If the bidder is a Startup, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
3. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
4. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for number of years as indicated above in bid document (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.
5. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference for services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered service. If L-1 is not an MSE and MSE Service Provider (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band as defined in the relevant policy, then 100% order quantity will be awarded to such MSE bidder subject to acceptance of L1 bid price. The buyers are advised to refer to the OM_No.1_4_2021_PPD_dated_18.05.2023 for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if the credentials of the service provider are validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by the Buyer after evaluation of submitted documents.
6. Past Experience of Similar Services: The bidder must have successfully executed/completed similar Services over the last three years i.e. the current financial year and the last three financial years(ending month of March prior to the bid opening): -
1. Three similar completed services costing not less than the amount equal to 40% (forty percent) of the estimated cost; or
2. Two similar completed services costing not less than the amount equal to 50% (fifty percent) of the estimated cost; or
3. One similar completed service costing not less than the amount equal to 80% (eighty percent) of the estimated cost.

Excel Upload Required/एक्सेल में अपलोड किए जाने की आवश्यकता :

Service cost break up (along with the financial Bid only). - 1729138834.xlsx

Additional Qualification/Data Required/अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा

Scope of work & Job description:1729139109.pdf

Buyer to upload undertaking that Minimum Wages indicated by him during Bid Creation are as per applicable Minimum Wages Act:1729139693.pdf

Pre Bid Detail(s)

Pre-Bid Date and Time	Pre-Bid Venue
24-10-2024 11:00:00	Pre-Bid meeting Thursday, 24 October · 11:00am – 11:30am Time zone: Asia/Kolkata Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/uoh-cgaw-vpv

Manpower Outsourcing Services - Minimum Wage - Unskilled; High School; Others (25)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification	Values
Core	
Skill Category	Unskilled
Educational Qualification	High School
Type of Function	Others
List of Profiles	Labour Agriculture
Specialization	Not Required
Post Graduation	Not Required
Specialization for PG	Not Applicable
Experience	0 to 3 Years
State	NA
Zipcode	NA
District	NA
Addon(s)/एडऑन	
Additional Details/अतिरिक्त विवरण	
Title for Optional Allowances 1	
Title for Optional Allowances 2	

Additional Specification Documents/अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Number of Resources to be hired	Additional Requirement/अतिरिक्त आवश्यकता
1	S Harikrishnan	685553,ICRI Myladumpara, Kailasanadu P.O., Idukki, Kerala	25	• Minimum daily wage (INR) exclusive of GST : 522 • Bonus (INR per day) : 0 • EDLI (INR per day) : 0 • EPF Admin Charge (INR per day) : 5.22 • Optional Allowances 1 (INR per day) : 0 • Optional Allowances 2 (INR per day) : 0 • Optional Allowances 3 (INR per day) : 0 • Estimated Number of Overtime Hours per Resource per Month : 0 • Remuneration per resource per hour for Overtime Hours (Including all applicable allowance etc & excluding GST) : 0 • ESI (INR per day) : 20.88 • Provident Fund (INR per day) : 62.64 • Number of working days in a month : 26 • Tenure/ Duration of Employment (in months) : 11

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. **Generic**

   OPTION CLAUSE: The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for attached categories, trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii)(h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें, conditons stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---